FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN State from the 194-KISHANGANJ (S.T.) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri LALIT MEENA (Name)

VILLAGE-GADRETA POST -SAMRANIYA TEH. SHAHABAD, DISTRICT BARAN (RAJASTHAN.) (Address)

sponsored by Bharatiya Janata Party (name of the recognized /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: - Govt. P.G. college Baran

Date: - 03-12-2023

(Arun Kuma (Jankari कुमार जैन Returning Office) द्विम अधिकारी

194-Kishangani (क्रीएम) विश्वानगंज Sub Divisional Officer & Sub Divisional

Magistrate, Kishanganj

प्ररूप 21 ग

(नियम ६४देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा। 194-किशनगंज(अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री ललित मीना (नाम)

ग्राम -गदरेटा, पोस्ट समरानियाँ तह० शाहाबाद जिला बाराँ (राज०) (पता)

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/ की गई हैं ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान :-राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बारां

दिनांक :-03 दिसम्बर, 2023

(अरूण कुमार जैन)

रिटर्जिएसप्सॅम्स्स्युक्स्सर जैन) 194- किश्**रिस्ट्रिनिम्(अस्क्रिक्स**)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मिजस्ट्रेट

किशनगंज